



भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
Miniratna Category-I, CPSE
(Wholly owned by Government of India)

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/159/12 (खण्ड II)/3466
SPMCIL/VIG/159/12 (Vol. II)

दिनांक 04.09.2015
Date: 04.09.2015

परिपत्र संख्या 08/15/CIRCULAR No. 08/15

विषय: संविदा के निष्पादन के दौरान पाई गई अनियमितताएं।

Sub: Irregularities observed during execution of a contract.

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के तकनीकी सलाहकार ने एक इकाई की संविदा में अपने निरीक्षण के दौरान यह पाया कि इकाई में संपत्ति के रखरखाव में विक्रेता द्वारा ढिलाई के लिए दंडात्मक प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया था।

The Technical Advisor, Central Vigilance Commission during the inspection of a contract in one of the unit had observed that the penal provision for laxity by the vendor in maintenance of the asset was not prescribed by the unit.

2. सभी संबंधितों को एतद् द्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि संपत्ति के रखरखाव में विक्रेता द्वारा ढिलाई के लिए दंडात्मक प्रावधान भविष्य के अनुबंधों में निर्धारित किया जाए।

2. All concerned are hereby advised to ensure that the penal provision for laxity by the vendor in maintenance of the asset is prescribed in future contracts.

3. इस परिपत्र का व्यापक प्रसार किया जाए तथा सभी संबंधितों को जानकारी दी जाए। इसे इकाई की वेबसाइट पर भी डाला जाए तथा विभागीय सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए।

3. The widest possible publicity should be given to this circular and all concerned should be informed. It should also be uploaded on the website of the unit & displayed on the sectional notice board.

- पृष्ठ संख्या 2 पर जारी - / - Contd. at Page 2 -

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/159/12 (खण्ड II)/3466
SPMCIL/VIG/159/12 (Vol. II)/

दिनांक 04.09.2015
Date: 04.09.2015

- 2 -

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
4. This issues with the approval of Competent Authority.


04/09/15

(शशिभूषण बेहेरा)/(SHASHIBHUSHAN BEHERA)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/Dy. CVO

महाप्रबंधक/The General Manager,

टकसाल/मुद्रणालय/कागज कारखाना/नि.मु./Mints/Presses/Paper Mill/CHO,

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./SPMCIL

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक।/ CMD.
2. निदेशक (मा.सं./तक.)/मु.स.अ.।/Director (HR/Tech)/CVO.
3. अपर महाप्रबंधक (वित्त/मा.सं./तकनीकी)।/Addl. GMs (Fin/HR/Tech).
4. उप महाप्रबंधक (तकनीकी)/उप मु.स.अ./DGM (Tech)/Dy. CVO.
5. प्रबंधक (विपणन/तकनीकी/मा.सं.)/Managers (Marketing/Tech).
6. सभी सतर्कता अधिकारी/All Vigilance Officials.
7. सूचना पटल एवं वेबसाइट।/Notice Board & Website.